मुकदमा नम्बर 03/2021

निर्णय दिनांक: 13.3.2021

1. भगवाननाथ पुत्र श्री जगनाथ जाति सिद्ध निवासी लिखमादेसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
2. रामकरणनाथ पुत्र श्री जगनाथ जाति सिद्ध निवासी लिखमोदसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

—वादीगण—

बनाम

1. जगनाथ पुत्र श्री गोपालनाथ जाति सिद्ध निवासी लिखमादेसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
2. उदी देवी पत्नी श्री जगनाथ जाति सिद्ध निवासी लिखमादेसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
3. शांति देवी पुत्री श्री जगनाथ जाति सिद्ध निवासी लिखमादेसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

—प्रतिवादीगण—

उपस्थिति:

1. श्री सुनील कुमार माली अभिभाषक वादी
2. श्री तोलाराम भाम्भू अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 ता 3

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

यह वाद भगवाननाथ वगैरहा ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 एक ही परिवार के है तथा रिश्ते में प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण का पिता है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ग्राम लिखमादेसर तहसील श्रीडूंगरढ जिला बीकानेर के निवासीगण है। प्रतिवादी संख्या 1 नाम से खातेदारी खेत खसरा नम्बर 294, 295, 299, 615, 616, 617, 729 कुल खसरा 7 कुल क्षेत्रफल 36.3800 हैक्टेयर रोही लिखमादेस तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित हैं। यह कि उपरोक्त खेत वादीगण दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के कब्जे में था परन्तु अलोटमेन्ट के समय वादीगण के दादा एवं प्रतिवादी सं. 1 के पिता की मृत्यु हो जाने के कारण उक्त खेत प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हो गये। प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार के है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वज एक ही होने से एक दुसरे के सहदायिक है और उपरोक्त खेत वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वजो का होने के कारण वादीगण का जन्म से ही उपरोक्त खेत में हक हिस्सा है। पूर्व में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त हिन्दु कुटुम्ब का हिस्सा रहे है और तत्पश्चात संयुक्त हिन्दु कुटुम्ब के विघटन के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 अलग—अलग हो जाने पर वादी संख्या 1 के हिस्से पांती में वादी संख्या 1 के हिस्से में खसरा नम्बर 294 पूर्वी क्षेत्रफल 1.22 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 295 पूर्वी क्षेत्रफल 0.26 हैक्टेयर गै.मु.सड़क, खसरा नम्बर 299 पूर्वी 0.88 हैक्टेयर बारानी, खसरा नम्बर 617 दक्षिणी 8.26 हैक्टेयर (चाही 3.15 है. बारानी 5.11 है.) कुल खसरा 4 कुल क्षेत्रफल 10.62 हैक्टेयर तथा वादी संख्या 2 के हिस्से पांती में खसरा नम्बर 294 पश्चिमी क्षेत्रफल 0.31 है, खसरा नम्बर 295 क्षेत्रफल 0.26 हैक्टेयर गै.मु.सड़क ,खसरा नम्बर 299 पश्चिमी क्षेत्रफल 1.80 है., खसरा नम्बर 615 क्षेत्रफल 0.01 है गै.मु. कुआ, ,खसरा नम्बर 616 क्षेत्रफल है 0.02 बारानी,खसरा नम्बर 617 उतरी क्षेत्रफल 8.23 हैक्टेयर (चाही 3.14 हैक्टेयर बारानी 5.09 हैक्टेयर) कुल खसरा 6 कुल क्षेत्रफल 10.63 हैक्टेयर के हिस्से पांती में आये और उक्तानुसार ही आज दिनांक तक वादीगण के कब्जा, काश्त में चले आ रहे है। वादीगण अपने हिस्से पांती में आयी हुई उक्तानुसार कृषिभूमि को आपके नाम राजस्व रिकार्ड, जमाबन्दी में दर्ज करवानें के लिए प्रतिवादी संख्या 1 से सहमति के लिए भी निवेदन किया परन्तु वादीगण द्वारा कई बार निवेदन करने के उपरान्त भी प्रतिवादी संख्या 1 ने ऐसा करने साफ इंकार कर दिया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इस प्रकार इंकार करने से वादीगण को अपने हक अधिकार की भूमि पर ऋण आदि नही ले पा रहे है और ना ही कृषि सुधार आदि कार्य कर पा रहे है जिससें उनके हक अधिकारों का हनन हो रहा है और यही वाद हेतुक है। प्रतिवादी संख्या 2 वादीगण की माता है और उनका वादग्रस्त खेतो की भूमि में कोई हक अधिकार नही है और परिवार की अन्य सम्पतियां उनके हिस्से पांती में आई हुई है। प्रतिवादी संख्या 3 वादीगण की बहिन है जो अपने सुसराल में वादीगण से अलग ही रह रही है। प्रतिवादी संख्या 3 ने परिवार में अपने हिस्से पांती को विभिन्न रूप में पहले से ही प्राप्त कर लिया है और अब वादग्रस्त खेतों में प्रतिवादी सं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:09:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

3 का कोई हक हिस्सा नही है। वादीगण ने अपने कब्जा काश्त के आधार पर प्रतिवादी संख्या 4 से मिलकर अपने कब्जा काश्त की भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण का ना दर्ज करने के लिए निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी संख्या 4 ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के ऐसा करनें के इंकारा कर दिया। प्रतिवादी संख्या 4 को भूमि का लैण्ड होल्डर होने से फोरमल पक्षकार संयोजित किया गया है एवं प्रतिवादी संख्या 4 से किसी प्रकार का अनुतोष चाहा गया है। दावा पूर्ण कोर्ट फीस पर समयावधि की अन्दर मियाद प्रस्तुत किया गया है। वादगत खेत रोही लिखमोदसर तहसील श्रीडूंगरगढ में होने से मामला श्रीडूंगरगढ में होने से मामला श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आश्य की डिक्री आज्ञप्त फरवाई जावें:–

(क) वादगत खेत खसरा नम्बर 294 पूर्वी क्षेत्रफल 1.22 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 295 पूर्वी क्षेत्रफल 0.26 हैक्टेयर गै.मु. सडक, खसरा नम्बर 299 पूर्वी 0.88 हैक्टेयर बारानी, खसरा नम्बर 617 दक्षिणी 8.26 हैक्टेयर (चाही 3.15 है. बारानी 5.11 है.) कुल खसरा 4 कुल क्षेत्रफल 10.62 हैक्टेयर रोही ग्राम लिखमादेसर की खातेदारी वादी संख्या 1 की घोषित की जाकर राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार अंकन किया जावें।

(ख) वादगत खेत खसरा नम्बर 294 पश्चिमी क्षेत्रफल 0.31 है. खसरा नम्बर 295 क्षेत्रफल 0.26 हैक्टेयर गै.मु. सडक, खसरा नम्बर 299 पश्चिमी क्षेत्रफल 1.80 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 615 क्षेत्रफल 0.01 है. गै.मु.कुंआ, खसरा नम्बर 616 क्षेत्रफल 0.02 हैक्टेयर बारानी, खसरा नम्बर 617 उतरी क्षेत्रफल 8.23 हैक्टेयर (चाही 3.14 हैक्टेयर, बारानी 5.09 हैक्टेयर) कुल खसरा नम्बर 6 कुल क्षेत्रफल 10.63 हैक्टेयर वादी सं. 2 की घोषित की जाकर राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार अंकन किया जावे।

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो हितकर वादीगण हो प्रदान करें।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा इकबालिया राजीनामा पेश किया। वादी प्रतिवादी को जरिये राजीनामा वाद स्वीकार करनें में कोई आपति नही होने के कारण राजीनामें के अनुसार वाद स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 294 पूर्वी क्षेत्रफल 1.22 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 295 पूर्वी क्षेत्रफल 0.26 हैक्टेयर गै.मु. सडक, खसरा नम्बर 299 पूर्वी 0.88 हैक्टेयर बारानी, खसरा नम्बर 617 दक्षिणी 8.26 हैक्टेयर (चाही 3.15 है. बारानी 5.11 है.) कुल खसरा 4 कुल क्षेत्रफल 10.62 हैक्टेयर रोही ग्राम लिखमादेसर की खातेदारी वादी संख्या 1 की एवं खेत खसरा नम्बर 294 पश्चिमी क्षेत्रफल 0.31 है. खसरा नम्बर 295 क्षेत्रफल 0.26 हैक्टेयर गै.मु. सडक, खसरा नम्बर 299 पश्चिमी क्षेत्रफल 1.80 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 615 क्षेत्रफल 0.01 है. गै.मु.कुंआ, खसरा नम्बर 616 क्षेत्रफल 0.02 हैक्टेयर बारानी, खसरा नम्बर 617 उतरी क्षेत्रफल 8.23 हैक्टेयर (चाही 3.14 हैक्टेयर, बारानी 5.09 हैक्टेयर) कुल खसरा नम्बर 6 कुल क्षेत्रफल 10.63 हैक्टेयर वादी सं. 2 की घोषित की जाकर राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार अंकन किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपना हिस्सा वादी संख्या 1 ता 2 के पक्ष में परित्याग कर दिया है अतः तहसीलदार श्रीडूंगरगढ अतिरिक्त दिये गये 1/2 हिस्से पर नियमानुसार [illegible] पत्र पर स्टाम्प डयूटी वसूल कर तदअनुसार वादीगण के पक्ष में राजस्व [illegible] करें। डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम [illegible] कर दाखिल दफतर हो। निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:09:23 IST
Reason: SelfAttested

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

डिक्री मुकदमें इस्तगासा
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूंगरगढ
पीठासीन अधिकारी:— दिव्या (आर.ए.एस.)

1. भगवाननाथ पुत्र श्री जगनाथ जाति सिद्ध निवासी लिखमादेसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
2. रामकरणनाथ पुत्र श्री जगनाथ जाति सिद्ध निवासी लिखमादेसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

उनवान

1. जगनाथ पुत्र श्री गोपालनाथ जाति सिद्ध निवासी लिखमादेसर तहसील श्रीडूंगरगढ
2. उदी देवी पत्नी श्री जगनाथ जाति सिद्ध निवासी लिखमादेसर तहसील श्रीडूंगरगढ
3. शांति देवी पुत्री श्री जगनाथ जाति सिद्ध निवासी लिखमादेसर तहसील श्रीडूंगरगढ
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

दावा बाबतः घोषणात्मक

निर्णय दिनांक 19.3.2021

मुकदमा नम्बर 03/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रुबरू अदालत बहाजरी वादी की ओर से सुनिल कुमार माली मिनजानिब मुदई व श्री तोलाराम भाम्भू अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 294 पूर्वी क्षेत्रफल 1.22 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 295 पूर्वी क्षेत्रफल 0.26 हैक्टेयर गै.मु. सडक, खसरा नम्बर 299 पूर्वी 0.88 हैक्टेयर बारानी, खसरा नम्बर 617 दक्षिणी 8.26 हैक्टेयर (चाही 3.15 है. बारानी 5.11 है.) कुल खसरा 4 कुल क्षेत्रफल 10.62 हैक्टेयर रोही ग्राम लिखमादेसर की खातेदारी **वादी संख्या 1** की एवं खेत खसरा नम्बर 294 पश्चिमी क्षेत्रफल 0.31 है. खसरा नम्बर 295 क्षेत्रफल 0.26 हैक्टेयर गै.मु. सडक, खसरा नम्बर 299 पश्चिमी क्षेत्रफल 1.80 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 615 क्षेत्रफल 0.01 है. गै.मु.कुंआ, खसरा नम्बर 616 क्षेत्रफल 0.02 हैक्टेयर बारानी, खसरा नम्बर 617 उतरी क्षेत्रफल 8.23 हैक्टेयर (चाही 3.14 हैक्टेयर, बारानी 5.09 हैक्टेयर) कुल खसरा नम्बर 6 कुल क्षेत्रफल 10.63 हैक्टेयर **वादी सं. 2** की घोषित की जाकर राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार अंकन किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपना हिस्सा वादी संख्या 1 ता 2 के पक्ष में परित्याग कर दिया है अतः तहसीलदार श्रीडूंगरगढ अतिरिक्त दिये गए 1/2 हिस्से पर नियमानुसार परित्याग पत्र पर स्टाम्प डयूटी वसूल कर तद्अनुसार वादीगण के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

लीज..0..मुबलिग..0..बाबत..0..खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह..0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 19 माह 03 सन 2021 को जारी किया गया ।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
	व	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	5. आदेशिका की तामिल	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	6. कमिश्नर की फीस	0
6.कमिश्नर की फीस	0		
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:09:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्री डूंगरगढ
उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ
सत्यमेव जयते